डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 91/2025

अनवान : —

1. आदित्य पूनियां पुत्र संजय कुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जरिये माता सुमन पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. सुमन पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. संजय कुमार पुत्र जयसिंह पूनियां जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. तमन्ना पूनियां पुत्री संजय कुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रीटा चौधरी व वकील प्रतिवादीगण श्री विरेन्द्र जाखड की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 16/13 के मु0 न0 54 के किला न0 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25, मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 3.5420है0 जिसमें नहरी 3.4920है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता सं0 11/9 के मु0 न0 4 के किला न0 3, 4, 5, मु0 न0 17 के किला न0 11, 12, 19, 20, 21, मु0 न0 18 के किला न0 14, 15, 16, 17, 18, मु0 न0 21 के किला न0 5, मु0 न0 22 के किला न0 1, 9, 10/1, 11/1, 12/2 कुल 4.2250है0 नहरी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार अकेले के बजाए वादीगण सं0 1 आदित्य पुनियां पुत्र संजय कुमार जरिये कुदरती माता सुमन पत्नी संजय कुमार, व प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार व प्रतिवादी सं0 2 तमन्ना पूनियां को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:19:01 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 91/2025

अनवान : –

1. आदित्य पूनियां पुत्र संजय कुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जरिये माता सुमन पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. सुमन पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. संजय कुमार पुत्र जयसिंह पूनियां जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. तमन्ना पूनियां पुत्री संजय कुमार जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री रीटा चौधरी वादी
श्री विरेन्द्र जाखड प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 16/13 के मु0 न0 54 के किला न0 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25, मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 3.5420है0 जिसमें नहरी 3.4920है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता सं0 11/9 के मु0 न0 4 के किला न0 3, 4, 5, मु0 न0 17 के किला न0 11, 12, 19, 20, 21, मु0 न0 18 के किला न0 14, 15, 16, 17, 18, मु0 न0 21 के किला न0 5, मु0 न0 22 के किला न0 1, 9, 10/1, 11/1, 12/2 कुल 4.2250है0 नहरी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 को ... पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:19:01 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष ... वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 2 जेएसएल व 3 जेएसएल वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 16/13 के मु0 न0 54 के किला न0 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25, मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 3.5420है0 जिसमें नहरी 3.4920है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)

संजय कुमार के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता सं0 11/9 के मु0 न0 4 के किला न0 3, 4, 5, मु0 न0 17 के किला न0 11, 12, 19, 20, 21, मु0 न0 18 के किला न0 14, 15, 16, 17, 18, मु0 न0 21 के किला न0 5, मु0 न0 22 के किला न0 1, 9, 10/1, 11/1, 12/2 कुल 4.2250है0 नहरी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं0 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। **चूंकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पैतृक सम्पति में पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को उसकी सम्पति में हक मिलेगा। इस प्रकार पैतृक सम्पति में पति के जीवनकाल में पत्नी को पैतृक सम्पति में हिस्सा की घोषणा किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है।** इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 16/13 के मु0 न0 54 के किला न0 5/1, 5/2, 6, 15, 16, 25, मु0 न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 3.5420है0 जिसमें नहरी 3.4920है0, गै0 मु0 खाला 0.050है0 खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता सं0 11/9 के मु0 न0 4 के किला न0 3, 4, 5, मु0 न0 17 के किला न0 11, 12, 19, 20, 21, मु0 न0 18 के किला न0 14, 15, 16, 17, 18, मु0 न0 21 के किला न0 5, मु0 न0 22 के किला न0 1, 9, 10/1, 11/1, 12/2 कुल 4.2250है0 नहरी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार अकेले के बजाए वादीगण सं0 1 आदित्य पुनियां पुत्र संजय कुमार जरिये कुदरती माता सुमन पत्नी संजय कुमार, व प्रतिवादी सं0 1 संजय कुमार व प्रतिवादी सं0 2 तमन्ना पूनियां को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/4/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:19:01 IST
Reason: SelfAttested